



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, मन्दलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23353503, फैक्स : 23753923

याचिका सं. 28/टीएल/2023

दिनांक : 20.03.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

किश्तवार ट्रांसमिशन लिमिटेड, एफ-1, द मीरा कॉर्पोरेट स्पूटस, 1 और 2 ईश्वर नगर, ओखला क्रॉसिंग, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव (बीओओएम) आधार पर "चिनाब वैली एचईपीएस - संयोजकता प्रणाली में पाकलदुल एचईपी से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" हेतु अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14, 15, 79(1)(ड) के अधीन आवेदन किया गया है।

चिनाब वैली एचईपीएस - संयोजकता प्रणाली में पाकलदुल एचईपी से विद्युत की पारेषण प्रणाली निकासी

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से माह में अनुसूचित सीओडी
1.	किशनपुर - दुलहस्ती 400 केवी डी/सी (क्वैड) लाइन (सिंगल सर्किट स्ट्रिंग) के एक सर्किट के लीलो द्वारा किश्तवार पूलिंग स्टेशन में बस रिएक्टर सहित किश्तवार (जीआईएस) में 400/132 केवी पूलिंग स्टेशन की स्थापना i. 420 केवी, 41.67 एमवीएआर, I-फेज बस रिएक्टर के साथ 400 केवी पूलिंग स्टेशन - 4 नंबर (एक स्पेयर यूनिट के साथ) ii. रिएक्टर बे - 1 नंबर भावी स्कोप: के लिए स्पेस i. 765/400 केवी आईसीटी बेज सहित - 3 नं. ii. 400/220 केवी आईसीटी बेज सहित - 2 नं. iii. 400/132 केवी आईसीटी बेज सहित - 2 नं. iv. 765 केवी लाइन बेज स्विचबल लाइन रिएक्टर सहित - 6 नं. v. 400 केवी लाइन बेज - 8 नं. vi. 220 केवी लाइन बेज - 4 नं. vii. 132 केवी लाइन बेज - 2 नं. viii. 765 केवी रिएक्टर बेज सहित - 1 नं. ix. 400केवी रिएक्टर बेज सहित - 1 नं.	पाकलदुल एचईपी के टाइमफ्रेम के अनुरूप अर्थात 1.4.2025
2.	किश्तवार में किशनपुर - दुलहस्ती 400 केवी डी/सी (क्वैड) लाइन के एक सर्किट का लीलो	
3.	किशनपुर - दुलहस्ती 400 केवी डी/सी (क्वैड) लाइन के एक सर्किट के लीलो के लिए किश्तवार (जीआईएस) में 400 केवी बेज का 2 नं. 400 केवी लाइन बेज - 2 नं.	
4.	किश्तवार - किशनपुर खण्ड 400 केवी लाइन बे के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंग के लिए किश्तवार (जीआईएस) में 400 केवी लाइन बे का 1 नं. - 1 नं.	
5.	किश्तवार पूलिंग स्टेशन में संबद्ध बेज सहित 7x66.67 एमवीए I-फेज 400/132 केवी आईसीटी i. 66.67 एमवीए I-फेज 400/132केवी आईसीटी - 7 नं. (एक स्पेयर यूनिट के साथ) ii. 400 केवी आईसीटी बेज - 2 नं. iii. 132 केवी आईसीटी बेज - 2 नं. iv. 132 केवी बस कपलर बे - 1 नं.#	किश्तवार पूलिंग स्टेशन के टाइमफ्रेम के अनुरूप
6.	132 केवी बेज का 4 नं. 132 केवी लाइन बेज (जीआईएस) - 4 नं.	

बस स्विचिंग योजना की अपेक्षा की पूर्ति के लिए नोट :

- कार्यान्वयन टाइमफ्रेम
क्र. सं. 1-4: पाकलदुल एचईपी के टाइमफ्रेम के अनुरूप कार्यान्वयन किया जाना है अर्थात 1.4.2025
क्र. सं. 5-6 किश्तवार पूलिंग स्टेशन के टाइमफ्रेम के अनुरूप कार्यान्वयन किया जाना है।
- आवेदक का चयन, अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार पीएफसीसीएल द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 388.46 प्रति वर्ष मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों सहित पारेषण सेवा प्रदायक के रूप में किया गया है।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 6.1.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 28/टीएल/2023 में दिनांक 20.3.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।
- किश्तवार ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.starfirepower.com पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 11.4.2023 तक अप्रोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 13.4.2023 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

ह0/-

(हरप्रीत सिंह पुष्पी)
सचिव